



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका(सेवा) क्रमांक 66/2012

याचिकाकर्तागण : मेसर्स भवानी मोल्डर्स (प्रा) लिमिटेड एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एवं

रिट याचिका(सेवा) क्रमांक 67/2012

याचिकाकर्तागण : मेसर्स भवानी मोल्डर्स (प्रा.) लिमिटेड एवं अन्य विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(दिनांक 13 सितम्बर 2012 को निर्णय के लिए सूचीबद्ध)

सही/-

सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायामूर्ति





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका(सेवा) क्रमांक 66/2012

याचिकाकर्तागण : मेसर्स भवानी मोल्डर्स (प्रा.) लिमिटेड एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एवं

रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 67/2012

याचिकाकर्तागण : मेसर्स भवानी मोल्डर्स (प्रा.) लिमिटेड एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित -याचिकाकर्तागण के लिए:

श्री पी.एन.मिश्रा अधिवक्ता एवम श्री

सी.डी.शर्मा अधिवक्ता


उत्तरवादी के लिए:

श्री सुमेश बजाज शासकीय अधिवक्ता

(आदेश पारित दिनांक 15 सितंबर, 2012)



1. रिट याचिका(सेवा) क्रमांक 66 एवं 67 सन् 2012 में समान तथ्य एवं समान विधिक प्रश्न सम्मिलित हैं तथा केवल आकलन वर्ष भिन्न हैं, अतः इन्हें एक साथ एक ही सामान्य आदेश द्वारा निराकृत किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 66/2012 में प्रस्तुत दस्तावेजों का संदर्भ लिया जा रहा है, क्योंकि दोनों याचिकाओं के तथ्य एवं दस्तावेज समान हैं।
2. इन याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्तागण दिनांक 31-12-2010 को पारित आदेश (अनुलग्नक-पी/11), जो उत्तरवादी क्रमांक-4 द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/री-ओपन/2008 (1-4-2002 से 31-3-2003) तथा 20/री-ओपन/2008 (1-4-2003 से 31-3-2004) में पारित किया गया है, को निरस्त किए जाने की मांग कर रहे हैं, जो क्रमशः रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 66 एवं 67/2012 से संबंधित है।
3. संक्षेप में याचिकाकर्तागण का मामला यह है कि याचिकाकर्ता क्रमांक-1 — मेसर्स भवानी मोल्डर्स (प्रा.) लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में है तथा औद्योगिक इकाई उरला औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर में स्थित है। यह स्टील इंगोट्स (मेसर्स इंगोट्स), इंगोट मोल्ड्स एवं लोहे की ढलाई (कास्ट) से संबंधित वस्तुओं के निर्माण में संलग्न है। याचिकाकर्ता क्रमांक-2, याचिकाकर्ता क्रमांक-1 कंपनी के निदेशकों में से एक है।
4. दिनांक 29-11-2007 को कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक -पी/2) आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर (संक्षेप में “सीसीई, रायपुर”) के कार्यालय से जारी किया गया, जो 10-1-2008 को याचिकाकर्तागण को तामील कराया गया, जिसमें उनसे यह कारण बताने के लिए कहा गया कि दिसंबर, 2002 से जून, 2003 की अवधि के दौरान 7758.200 मीट्रिक टन मेसर्स इंगोट एवं मेसर्स गुल्ली को बिना शुल्क भुगतान के गुप्त रूप से हटाने के कारण देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क की राशि रुपये 1,57,29,906/-





तथा उतनी ही राशि का दंड केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में “अधिनियम, 1944”) की धारा 11A एवं 11AC के अंतर्गत क्यों न वसूल किया जाए।

5. दिनांक 15-5-2008 को पत्र (अनुलग्नक -पी/3) के माध्यम से याचिकाकर्तागण ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया एवं उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इंकार किया। इसके पश्चात, दिनांक 7-10-2008 को (अनुलग्नक -पी/4) सीसीई, रायपुर द्वारा मांग नोटिस जारी कर अधिनियम, 1944 की धारा 11A एवं 11B के अंतर्गत रुपये 1,57,27,906/- केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग की गई तथा अधिनियम, 1944 की धारा 11AC के अंतर्गत रुपये 1,57,68,474/- का दंड अधिरोपित किया गया।

6. इसके विरुद्ध, याचिकाकर्तागण ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में “सीईएसटीएटी”) के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

सीईएसटीएटी ने दिनांक 28-1-2009 को पारित आदेश (अनुलग्नक -पी/6) द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिया कि “हम अपीलकर्ता-कंपनी को आज से 8 सप्ताह

के भीतर रुपये 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) जमा करने एवं 2 अप्रैल, 2009 को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा उक्त पूर्व-जमा की शर्त पर, शेष राशि के पूर्व-जमा से संबंधित देय शुल्क एवं समस्त दंड की वसूली अपीलों के अंतिम निस्तारण तक स्थगित रहेगी। स्थगन याचिकाओं का निराकरण उपर्युक्त शर्तों पर किया जाता है।”

7. सीईएसटीएटी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बावजूद, प्रतिवादी प्राधिकरणों, उत्तरवादी क्रमांक 04 द्वारा, अधिकार-क्षेत्र के अभाव में, वैधानिक प्रावधानों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (संक्षेप में “अधिनियम, 1994”) की धारा 28(1) के अंतर्गत पुनःआकलन की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जबकि उक्त अधिनियम को छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा



72 के अंतर्गत 1-4-2006 से निरस्त कर दिया गया था, तथा केवल आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा दिनांक 7-10-2008 को पारित आदेश पर निर्भर करते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि माल की गुप्त निकासी हुई है, एवं याचिकाकर्ता-कंपनी को रुपये 23,96,000/- विक्रय कर तथा रुपये 47,92,000/- दंड, कुल राशि रुपये 71,88,000/- (रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 66 सन् 2012) तथा रुपये 24,09,200/- विक्रय कर एवं रुपये 48,00,000/- दंड, कुल राशि रुपये 72,09,200/- (रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 67 सन् 2012) आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिवस के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया, जबकि यह पूर्ण रूप से ज्ञात था कि सीसीई, रायपुर द्वारा दिनांक 7-10-2008 को पारित आदेश के प्रभाव एवं संचालन पर सीईएसटीएटी द्वारा पहले ही स्थगन दिया जा चुका है।

8. अधिनियम, 1994 को छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षेप में “वैट अधिनियम, 2005”) की धारा 72 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया है; तथापि यह स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार का निरसन, निरस्त अधिनियम के अंतर्गत की गई पूर्ववर्ती कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा।

9. वैट अधिनियम, 2005 की धारा 72(i)(अ)(ब) निम्नानुसार है :

“72. निरसन एवं संरक्षण—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर

अधिनियम, 1994 (1995 का क्रमांक 5) इस अधिनियम के प्रवर्तन की

तिथि से निरस्त माना जाएगा I

परंतु यह कि —

- (i) इस प्रकार के निरसन से निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं कर पड़ेगा —



(अ) निरस्त किये गये अधिनियम या अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1959, जिसे अधिनियम क्रमांक 5 सन् 1995 द्वारा निरस्त किया गया, (जिसे इसके अंतर्गत निरस्त अधिनियम कहा गया है) के अंतर्गत की गई पूर्ववर्ती कार्यवाहियों को, या उसके अधीन विधिवत किए गए अथवा सहन किए गए किसी कार्य को; या

(ब) निरस्त अधिनियम के अधीन अर्जित, उपार्जित या उत्पन्न कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता को, जिसमें राज्य में नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करने अथवा विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधीकरण करने पर पंजीकृत विक्रेता को प्रदत्त कर-मुक्ति अथवा कर भुगतान के स्थगन की सुविधा भी सम्मिलित है :

परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त कर-मुक्ति अथवा कर भुगतान स्थगन की सुविधा को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित रूप से संशोधित/परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार नवीन अधिसूचना जारी कर सकती है अथवा निरस्त अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना में संशोधन कर सकती है।

(अ) निरस्त अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में लगाया गया कोई जुर्माना, जप्ती या दंडादेश को; या

(ब) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता के संबंध में की गई अथवा की जाने वाली किसी जांच, विधिक कार्यवाही या उपाय को; तथा ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है ऐसेजारी या प्रवर्तित किए जा सकते हैं, और ऐसा कोई भी दंड, जप्ती या





दंडादेश अधिरोपित किया जा सकता है, मानो यह अधिनियम निरस्त न किया गया हो।”

- (ii) जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, निरस्त अधिनियम के अधीन या उसके अंतर्गत प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्यवाही (जिसमें कोई नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रपत्र, विनियम अथवा प्रमाणपत्र सम्मिलित है), इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न होने की स्थिति में, प्रभावी बनी रहेगी तथा इसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई कार्यवाही माना जाएगा, मानो जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया या कार्यवाही की गई, उस तिथि को यह अधिनियम लागू था, जब तक कि उसे इस अधिनियम के अधीन निरस्त न कर दिया जाए; तथा इस अधिनियम के प्रवर्तन के समय देय सभी कर बकाया एवं अन्य राशियाँ इस प्रकार वसूल की जा सकेंगी, मानो वे इस अधिनियम के अधीन उपार्जित हुई हों।

- (iii) निरस्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत उत्पन्न कोई भी निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य कार्यवाही, जो इस अधिनियम के प्रवर्तन से ठीक पूर्व किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष लंबित थी, जो निर्धारण करने या अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य कार्यवाही सुनने एवं निर्णय करने के लिए विधिवत सशक्त था, वह इस अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को स्थानांतरित मानी जाएगी, जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारण करने या अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य कार्यवाही सुनने एवं निर्णय करने के लिए सक्षम हो; तथा तत्पश्चात ऐसा निर्धारण किया जाएगा अथवा ऐसी अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य कार्यवाही उस अवधि के भीतर,





यदि कोई हो, जो उसके लिए विनिर्दिष्ट हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निरस्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार सुनी एवं निर्णयित की जाएगी, मानो वह अधिकारी या प्राधिकारी निरस्त अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिए विधिवत सशक्त था।

(iv) (अ) निरस्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय को संदर्भ भेजने हेतु किसी व्यापारी अथवा आयुक्त द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कोई भी आवेदन; या

(ब) निरस्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किया गया कोई भी ऐसा आवेदन; या

(स) धारा 70 की उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (2) के अंतर्गत उच्च न्यायालय को किया गया कोई भी संदर्भ, यदि इस अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि को लंबित है, तो उसका निस्तारण अधिकरण अथवा उच्च न्यायालय द्वारा, जैसा भी मामला हो, निरस्त अधिनियम की धारा 70 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार किया जाएगा, मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ था तथा उक्त अधिनियम निरस्त नहीं किया गया था।

(v) खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, निरस्त अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न कोई भी अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य कार्यवाही, जो इस अधिनियम के प्रवर्तन के पश्चात प्रस्तुत या प्रारंभ की गई हो, उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस प्राधिकारी द्वारा सुना एवं निर्णयित किया जाएगा, जो अपील, पुनरीक्षण अथवा अन्य कार्यवाही ग्रहण करने के लिए सक्षम हो।





10. इस याचिका में अंतर्वलित प्रश्न यह है कि क्या उत्तरवादी क्रमांक-4 को अधिनियम, 1994 की धारा 28(1) के अंतर्गत 1-4-2002 से 31-3-2003 तथा 1-4-2003 से 31-3-2004 की अवधि के लिए, उस समय जब वैट अधिनियम, 2005 अस्तित्व में आ चुका था, पलायन किए गए कर के पुनःआकलन पर विचार करने तथा आदेश पारित करने का अधिकार-क्षेत्र प्राप्त है।
11. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा वैट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वैधानिक अपील उपलब्ध है; अतः वैकल्पिक, प्रभावी एवं वैधानिक अपीलीय उपचार की उपलब्धता के आधार पर इस याचिका को ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।
12. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा तर्कों, अभिवचनो एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।
13. ऐसा कोई प्रावधान इंगित नहीं किया गया है, जिससे यह प्रदर्शित हो कि यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के छिपाए गये भुगतान के संबंध में मूल्यांकन कस्टम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, तो राज्य प्राधिकारी विक्रय कर (अब मूल्य वर्धित कर) के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही करने से विवश हैं। वर्तमान वैट अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विक्रय कर (वैट) तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की कार्यप्रणाली पूर्णतः भिन्न क्षेत्र हैं। वस्तुओं के निर्माण अथवा विक्रय के संबंध में वे परस्पर संबंधित हो सकते हैं I अतः एक कार्यवाही पर दिया गया स्थगन, स्वयमेव अन्य कार्यवाही को प्रतिबंधित नहीं करता।
14. जहां तक अधिकार-क्षेत्र का प्रश्न है, यह ऐसा प्रकरण नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक-4 के पास पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही प्रारंभ करने तथा कर एवं दंड अधिरोपित करने का कोई अधिकार-क्षेत्र नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-4 को विधि के अधीन कर का पुनर्मूल्यांकन करने तथा दंड सहित उसकी वसूली करने का अधिकार प्राप्त है।



15. जहां तक तथ्यों का संबंध है, प्रथम वैधानिक अपीलीय प्राधिकारी तथ्य निर्धारण करने वाला प्राधिकारी भी है। यदि तथ्यात्मक विवाद हों अथवा निर्धारण की विधि त्रुटिपूर्ण हो, जैसा कि याचिकाकर्तागण द्वारा आरोपित किया गया है, तो याचिकाकर्तागण को इसके लिए वैधानिक अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष जाना होगा तथा सभी वैधानिक उपचारों का उपयोग करने के पश्चात ही वे रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष आ सकते हैं।

16. याचिकाकर्तागण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **अरुण कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**¹ पर किया गया भरोसा अनुचित है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यदि प्राधिकारी ने क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को गलत तरीके से माना है, तो करदाता द्वारा मांगी गई सर्टिओरारी याचिका का हकदार होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों में कोई त्रुटि नहीं है। क्षेत्राधिकार से संबंधित तथ्य एवं पुनर्मूल्यांकन से संबंधित तथ्यात्मक विवाद, वैधानिक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भी विचारणीय हैं।

17. याचिकाकर्तागण द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय **फर्म जनता हार्डवेयर स्टोर्स, रायगढ़ एवं अन्य बनाम बी.एस. परिहार, सहायक विक्रय कर अधिकारी**² का भी अवलंब लिया गया है, किंतु यह निर्णय भी सहायक नहीं है।

18. सर्वोच्च न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट एवं अन्य**³ के प्रकरण में निम्नलिखित टिप्पणी की :-

“17. हम सर्वप्रथम अपीलकर्ता राज्य द्वारा वैकल्पिक उपचार के संबंध में उठाई गई आपत्ति पर विचार करेंगे। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 226 में संशोधन किए जाने की अवधि को छोड़कर, वैकल्पिक उपचार से

¹(2007) 1 एस सी सी 732

²एआईआर 1962 एम पी 315 (वी 49, सी 92)

³(2005) 6 एस सी सी 499



संबंधित शक्ति को नीति, एक आत्म-आरोपित सीमा माना गया है। यह मूलतः नीति, सुविधा एवं विवेक का नियम है, न कि विधि का नियम। वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व के बावजूद, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राहत प्रदान करना उच्च न्यायालय के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के भीतर है। साथ ही, यह भी दृष्टिगत रखना आवश्यक है कि यद्यपि वैकल्पिक उपचार से संबंधित विषय का क्षेत्राधिकार, तो उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वैकल्पिक उपचार का सहारा लिए बिना उच्च न्यायालय की शरण लेता है, तो उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका प्रकरण मजबूत है अथवा असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान हैं।”

21. जी.वीरप्पापिल्लै बनाम रामन एण्ड रामन लिमिटेड; सीसीई बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड; रामेन्द्र किशोर बिस्वास बनाम त्रिपुरा राज्य; शिवगोंडा अन्ना पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य; सी.ए. अब्राहम बनाम आईटीओ; तितागढ़ पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य; एच.बी. गांधी बनाम गोपी नाथ एण्ड सन्स; व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड मार्क्स; टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बिहार राज्य; शीला देवी बनाम जसपाल सिंह; तथा पंजाब नेशनल बैंक बनाम ओ.सी. कृष्णन में इस न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि जहां अपीलों की श्रेणी विधि द्वारा प्रदान की गई है, वहां पक्षकार को रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेने से पूर्व वैधानिक उपचारों का पूर्ण उपयोग करना चाहिए।

19. उक्त सिद्धांत को **यू.पी. स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर.एस. पांडे एवं अन्य**⁴ में लागू करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया :

⁴(2005) 8 एस सी सी 264



“21. उत्तर प्रदेश राज्य ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एस. कर्मचारी संघ में यह निर्णय दिया गया कि जब विवाद किसी अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित हो या चूंकि विधि के तहत दायित्व और विशिष्ट उपाय प्रदान किए गए हैं, इसलिए उच्च न्यायालय को सामान्य दृष्टिकोण से विचलित नहीं होना चाहिए और अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिवाय तब जब विचलन करने के लिए कोई बहुत मजबूत मामला बनता हो। ऐसा उपाय चाहने वाला व्यक्ति विधि के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। इसी आशय के निर्णय **प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम कामलेकर शांताराम वाडके, राजस्थान एसआरटीसी कृष्णाकांत, चंद्रकांत तुकाराम निकम बनाम अहमदाबाद नगर निगम और स्कूटर्स इंडिया बनाम विजय ई.वी. एल्ड्रेड** के प्रकरणों में दिए गए हैं।“

20. रिट याचिका की स्वीकार्यता की अवधारणा पर एक अन्य निर्णय में वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश उच्च विद्यालय एवं मध्यवर्ती शिक्षा सचिव, इलाहाबाद एवं अन्य बनाम एच.के. लाल⁵** के प्रकरण में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“4. अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि क्या प्रतिवादी को बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्ज अपनी जन्म तिथि को बदलने का कानूनी अधिकार है, यह प्रश्न अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन था। अतः प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकरण में अपील लंबित थी और इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।“

⁵(2007) 2 एस सी सी 216



21. कमल नारायण गोस्वामी बनाम अखिलेश पुरी गोस्वामी और अन्य⁶ के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिपणी की :

“10. उपर्युक्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में एक सामान्य सूत्र यह है कि, सामान्यतः उच्च न्यायालय को तब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब कोई पर्याप्त और प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो। जहां विधि द्वारा अपीलों का क्रम निर्धारित किया गया हो, वहां पक्षकार को रिट याचिका का सहारा लेने से पहले विधिवत उपाय का उपयोग करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब कोई बहुत मजबूत प्रकरण हो जिसके आधार पर अपवाद किया जा सके।

11. प्रकरण के तथ्यों पर वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुस्थापित निर्णयों को लागू करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ता ने तहसीलदार के आदेश को बिना किसी आधार के चुनौती दी है, वैधानिक अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी क्षेत्राधिकार पर विचार किया जा सकता है। सामान्य नियमों से विचलन के लिए कोई ठोस मामला नहीं बनता है। अतः, वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के कारण यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता को उचित लगे तो वह उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक मंच का सहारा ले सकता है।“

22. कमल नारायण गोस्वामी (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका, एसएलपी (सी) संख्या 162 वर्ष 2009 दायर किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 16-1-2009 को निरस्त कर दिया।

⁶2008 (2) बीएलजे 124



23. इस न्यायालय ने **माँ शारदा सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादिल, प्रतापपुर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य**⁷ के प्रकरण में पुनः प्रतिपादित किया कि सामान्यतः, यदि कोई पर्याप्त प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो; जहाँ विधि द्वारा अपीलों का क्रम निर्धारित किया गया हो, तो उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए; पक्षकार को रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेने से पहले वैधानिक उपायों का उपयोग करना चाहिए, सिवाय इसके कि उससे विचलन हेतु अत्यंत सशक्त मामला स्थापित किया गया हो।

24. **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम नियंत्रक प्राधिकरण और सहायक श्रम**

आयुक्त, दुर्ग और अन्य⁸ संबंधित मामलों में, निम्नलिखित अवधारित किया गया:

“13. यह सर्वविदित कानून है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिका पर विचार करने उच्च न्यायालय के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है , किन्तु केवल विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा किया जा सकता है, जहाँ किसी वैधानिक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी गई हो, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन न किया गया हो, या किसी संवैधानिक या वैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। इस प्रकरण में ऐसा कुछ भी इंगित नहीं किया गया है और इन याचिकाओं को सीधे वैधानिक अपीलीय मंच को दरकिनार करते हुए स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया विषय पहले ही समाप्त हो चुका है, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ने तर्क दिया गया है, तो विधिवत न्यायनिर्णयन इस बिंदु को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

⁷2008 (3) सीजी एलजे 482

⁸डब्ल्यू पी (एल) क्र 2340/2007 (निर्णय दिनांक 1-3-2012)



14. उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में, प्रकरणों के गुण- दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, सभी याचिकाएं वैकल्पिक और प्रभावी उपाय की उपलब्धता के आधार पर निरस्त की जाती हैं।

25. यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि यह न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकता, जब तक कि करदाता द्वारा विधि के प्रावधानों के अधीन उपलब्ध सभी वैधानिक उपायों का उपभोग न कर ले।

26. उपर्युक्त कारणों से, प्रकरणों की गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, दोनों याचिकाएँ वैकल्पिक, वैधानिक और प्रभावी अपील की उपलब्धता के आधार पर निरस्त की जाती हैं। तथापि, याचिकाकर्तागण को उचित कानूनी प्रावधानों के तहत, यदि आवश्यक हो, तो उपर्युक्त अपीलीय फोरम का सहारा लेने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी जाती है।

27. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम दृष्टया, यदि कोई उपरोक्त टिप्पणी यदि कोई हो, तो उसे न्यायालय का क्षेत्राधिकार संबंधी निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। अपीलीय प्राधिकारी प्रकरण पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है और विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।

सही/-

सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Mrs. Shubha Shrivastava